



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102020-222407
CG-DL-E-13102020-222407

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]
No. 295]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 13, 2020/आश्विन 21, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2020/ASVINA 21, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2020
सं. 25/2015-2020

विषय: राज्य लेवी छूट (आरओएसएल) के अंतर्गत स्क्रिपों के लिए आवेदन करने और उसे जारी करने हेतु प्रक्रिया।

फा. सं. 01/61/180/14/एम-21/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति, (2015-2020) के पैरा 1.03 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 में निम्नलिखित पैरा जोड़ते हैं:

2. प्रक्रिया पुस्तक में नए पैरा 4.97 और 4.98 को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:—

4.97 राज्य लेवी छूट (आरओएसएल) हेतु स्कीम के अंतर्गत स्क्रिपों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

क. विदेश व्यापार नीति का पैरा 4.01 (घ) आरओएसएल के लिए स्कीम से संबंधित है। अधिक विवरण के लिए स्क्रिप प्रक्रिया के अंतर्गत आरओएसएल स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में वस्त्र मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचनाओं का संदर्भ लिया जा सकता है। आरओएसएल स्कीम के केवल ऐसे पुराने शिपिंग बिल के लिए ही आरओएसएल स्क्रिप जारी किए जाएंगे, जिसके लिए बजट सीमा के कारण आरओएसएल राशियों का संवितरण पहले नहीं किया जा सका।

ख. आरओएसएल के अंतर्गत छूट का दावा करने हेतु आवेदन डीजीएफटी की वेबसाइट <http://dgft.gov.in> पर एनएफ-4 एसएल में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके ऑनलाईन फाइल किए जाएंगे। निर्यातक/आवेदक को संबंधित ईडीआई शिपिंग बिलों और ईबीआरसी को लिंक करना और आवेदन को केवल आनलाईन तरीके से प्रस्तुत करना अपेक्षित है। निर्यातक द्वारा आनलाईन माड्यूल में एक एकल आवेदन में अधिकतम 50 शिपिंग बिलों को संलग्न करना अनुमत होगा।

- ग. आरओएसएल स्कीम के अंतर्गत स्क्रिप प्रक्रिया के तहत छूट केवल उन शिपिंग बिल (बिलों) हेतु स्वीकृत होगी जिनके लिए शुल्क वापसी की राशि संवितरित कर दी गई है और आरओएसएल राशि अभी संवितरित नहीं की गई है। केवल वो शिपिंग बिल जिन पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों/आईसगेट ने आरओएसएल की राशि संवितरित नहीं की है, को डीजी (सिस्टम्स)/आईसगेट द्वारा डीजीएफटी सर्वर पर निर्यातक द्वारा आवेदन करने के लिए आनलाईन प्रेषित किया जाएगा। तथापि, आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि शिपिंग बिल हेतु कोई आवेदन न करे जिस पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों से शुल्क वापसी के साथ आरओएसएल की छूट का दावा प्राप्त कर लिया गया है। इस संबंध में कोई मिथ्या घोषणा करने पर एफटी (डीएंडआर) अधिनियम 1992 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- घ. स्प्लिट स्क्रिपों की सुविधा:— प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.09 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- ड. आरओएसएल का आवेदन करने हेतु क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.06 (ख) के अनुसार होंगे। आवेदकों को सुनिश्चित करना होगा कि वे स्क्रिप प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.06 (ख) के अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को ही आवेदन कर रहे हैं और स्क्रिप हेतु आनलाईन आवेदन करते समय इस संबंध में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे। तथापि, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में क्षेत्रीय प्राधिकारी चुनने और वित्तीय वर्ष में सभी आवेदनों के लिए एक ही क्षेत्रीय प्राधिकारी को बरकरार रखने से संबंधित पैरा 3.06 (क) में निर्धारित की गई सीमा लागू नहीं होगी।
- च. आरओएसएल स्क्रिपों हेतु पंजीकरण के पत्तन का विकल्प: आनलाईन आवेदन करते समय आवेदक उस आनलाईन आवेदन में ईडीआई पत्तन जहां से शिपिंग बिलों हेतु निर्यात किया गया हो, में से किसी एक को पंजीकरण पत्तन के रूप में चुन सकता है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्प्लिटों सहित) इस एकल ईडीआई पंजीकरण पत्तन से जारी की जाएगी।
- छ. अंतिम छूट की राशि के प्रणाली आधारित अनुमोदन के बाद स्क्रिपों को क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा कागजरहित तरीके से जारी किया जाएगा। तथापि, क्षेत्रीय प्राधिकारी एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के अंतर्गत प्रत्येक माह जारी किए गए आरओएसएल आवेदनों के 2 प्रतिशत की जांच करेंगे। आरएमएस मामलों को डीजीएफटी प्रणाली द्वारा जेनरेट किया जाएगा।
- ज. स्क्रिपों का पंजीकरण: ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को स्क्रिप में उल्लिखित पत्तन में पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। इसे ड्यूटी क्रेडिट के उपयोग को अनुमत करने से पूर्व किया जाना चाहिए। ईडीआई पत्तन पर एक बार पंजीकृत होने पर स्क्रिप को आयात हेतु किसी ईडीआई पत्तन और टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस (टीआरए) प्रक्रिया के अंतर्गत किसी मेनुअल पत्तन पर स्वतः उपयोग किया जा सकता है।
- झ. वैधता अवधि और पुनर्वैधीकरण: ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी होने की तिथि से 24 माह की अवधि हेतु वैध होगी और इसे ड्यूटी के वास्तविक डेबिट होने की तिथि को वैध होना चाहिए। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के पुनर्वैधीकरण को प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.20 (ग) के अंतर्गत शामिल किए जाने तक अनुमत नहीं किया जाएगा।
- ञ. आरओएसएल के तहत दावे प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल में, दिनांक 01.10.2017 और 06.03.2019 के बीच मान्य निर्यात आदेश (एलईओ) तारीख के साथ शिपिंग बिल सहित आवेदन अलग से प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसी तरह, दिनांक 01.10.2017 से पहले मान्य निर्यात आदेश की तारीख के साथ शिपिंग बिल वाले अलग आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। दिनांक 01.10.2017 से 06.03.2019 तक मान्य निर्यात आदेश की तारीख के साथ शिपिंग बिलों वाले आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.06.2021 होगी। दिनांक 01.10.2017 से पहले मान्य निर्यात आदेश की तारीख के साथ शिपिंग बिल वाले आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को बाद की तारीख में अधिसूचित किया जाएगा।
- ट. इन्हे प्रस्तुत करने की समयसीमा के बाद, किसी भी आवेदन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और शिपिंग बिलों को रोक दिया जाएगा। स्क्रिप प्रक्रिया के अंतर्गत आरओएसएल स्कीम के तहत विलंब कटौती का कोई प्रावधान नहीं है।
- ठ. आरओएसएल स्कीम के अंतर्गत दावा करने के लिए सभी निर्यातक पात्र हैं सिवाए ऐसी इकाईयां/आईईसी के जो डीजीएफटी की अस्वीकृत इकाई सूची में हैं।

4.98 वसूली प्रक्रिया

- क. आरओएसएल स्कीम के अंतर्गत दावा किए गए निर्यात से संबंधित शिपिंग बिलों और अन्य दस्तावेजों के रिकार्ड का स्क्रिप के जारी होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि हेतु जारी होने के बाद की जाने वाली जांच और वसूली प्रयोजनों के लिए आवेदक द्वारा रखरखाव करना अपेक्षित है। क्षेत्रीय प्राधिकारी 3 वर्षों की अवधि में किसी भी समय इन दस्तावेजों की मूल प्रतियों की मांग कर सकता है। यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर आवेदक मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो आवेदक स्क्रिप जारी करने की तिथि से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 कक के तहत निर्धारित ब्याज की दर के साथ जारी की गई छूट की राशि का रिफंड देने के लिए उत्तरदायी होगा।
- ख. आरओएसएल स्कीम के तहत छूट के लिए दावे के मामले में, जहां शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के रूप में डीजीएफटी द्वारा छूट जारी की जाती है, ऐसी छूट केवल निर्यातक से वसूल की गई वास्तविक विप्रेषित धन राशि के आधार पर अनुमत होगी। यदि त्रुटि या गलत गणना के कारण अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, तो निर्यातक डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी डिमांड करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी राशि निर्यातक द्वारा ऐसे शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के जारी होने की तिथि से और वास्तविक रिफंड की तिथि तक 15 प्रतिशत ब्याज

के साथ अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28कक के तहत यथा निर्धारित राशि जो भी अधिक हो, वापस कर दी जाएगी। यदि निर्यातक निर्धारित समय सीमा के भीतर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा मांग की गई राशि को वापस करने में विफल रहता है, तो डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11 के प्रावधानों के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यदि, गलत-घोषणा या तथ्यों को छिपाने या मनगढ़त निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर छूट का दावा किया जाता है, तो निर्यातक समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, आरओएसएल के तहत अप्रयुक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का बिना किसी ब्याज देयता के अभ्यर्पण किया जा सकता है। ऐसी वसूली गई राशि (मूल धन जमा ब्याज और जुर्माना जहां लागू हो) को सीमा शुल्क विभाग के संबंधित लेखा शीर्ष अर्थात् "मुख्य शीर्ष 0037 – सीमा शुल्क और लघु शीर्ष 101 – आयात शुल्क" में जमा किया जाएगा।

ग. यदि आवेदक उपर्युक्त यथा निर्धारित अतिरिक्त दावा राशि का रिफंड करने में असमर्थ होता है अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र का ऐसे पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं देता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी एफटी (डीएंडआर) अधिनियम 1992 और नियमों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

3. एएनएफ 4 एसएल को भी अधिसूचित किया जाता है और यह सार्वजनिक सूचना का अनुलग्नक है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: स्क्रिप प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 07.03.2019 से पूर्व शिपिंग बिलों हेतु राज्य लेवी छूट (आरओएसएल) जारी करने हेतु अधिसूचनाओं के आधार पर आवेदन करने की प्रक्रिया, वसूली तंत्र और नए आयात निर्यात प्रपत्र एएनएफ 4 एसएल को अधिसूचित किया गया है। यह भी अधिसूचित किया गया है कि आरओएसएल स्क्रिप केवल उन शिपिंग बिलों के लिए उपलब्ध होंगी जिन्हें आईसगेट सर्वर से डीजीएफटी सर्वर पर ट्रांसमिट किया गया है और जिनके लिए निर्यातकों ने अभी तक आरओएसएल राशि प्राप्त नहीं की है।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

सार्वजनिक सूचना सं. 25 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 का अनुलग्नक

एएनएफ-4 एसएल

राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल) की योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन प्रपत्र जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.97 और 4.98 में अधिसूचित है।

आवेदकों के लिए दिशानिर्देश

1. कोई आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पूर्व कृपया एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.97 और 4.98 और आरओएसएल पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना और एएनएफ-4 एसएल की घोषणाएं देख लें।
2. केवल उन शिपिंग बिलों को आरओएसएल के तहत स्क्रिप हेतु आवेदन किया जाना चाहिए, जिसके लिए शुल्क वापसी को संवितरित किया गया है और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत करने के समय आरओएसएल को संवितरित नहीं किया गया है।
3. ऑनलाइन मॉड्यूल में,
 - i) एफओबी मूल्य के 12.5 प्रतिशत तक कमीशन राशि की गणना आरओएसएल के तहत पात्रता की गणना के लिए की जाएगी और 12.5 प्रतिशत से अधिक किसी भी छूट राशि की गणना के लिए इसे नहीं गिना जाएगा। निर्यातक ध्यान दें कि उन्हें शिपिंग बिलों के साथ ई-बीआरसी को जोड़ने से पहले ऑनलाइन ई-बीआरसी रिपॉजिटरी मॉड्यूल में कमीशन, बीमा और माल भाड़े की राशि को भरना चाहिए।
 - ii) निर्यातकों को उपरोक्त मूल्यों को भरना होगा यदि कमीशन, बीमा और माल भाड़ा के तहत राशि को ई-बीआरसी रिपॉजिटरी में संबंधित ई-बीआरसी में वसूले गए मूल्य में शामिल किया गया है।
 - iii) प्रणाली ई-बीआरसी से उपर्युक्त मूल्यों को समायोजित करने के बाद छूट की गणना करेगी और ऐसे समायोजित ई-बीआरसी या एफओबी जो भी कम हो, पर छूट जारी करेगी।
 - iv) आवेदक को एक बार में एक शिपिंग बिल के विवरण का चयन करना आवश्यक है। एक आवेदन में छूट के लिए अधिकतम 50 शिपिंग बिल चुने और जमा किए जा सकते हैं।

भाग—क

1.	आवेदक का विवरण										
i	आईईसी सं.										
ii	आईईसी का नाम										
iii	पता										
iv	दूरभाष सं.										
v	वैध/सक्रिय ई-मेल आईडी										

भाग—ख

2. आवेदन का विवरण

- i. निर्यात लाइसेंसिंग अवधि (कृपया ऑनलाइन माड्यूल में ड्राप डाउन से मान्य निर्यात तिथि (एचबीपी का पैरा 9.12) के आधार पर जिस अवधि में निर्यात किया गया है, उसका उल्लेख करें:
- ii. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि:
- iii. इस आवेदन के लिए निर्यात का ईडीआई पत्तन

3. शिपिंग बिल विवरण: शिपिंग बिल और ई-बीआरसी शिपिंग बिल रिपॉजिटरी में ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। आवेदकों को शिपिंग बिलों और सभी प्रासंगिक ई-बीआरसी का चयन करना और अपना आवेदन तैयार करना अपेक्षित है। ईडीआई शिपिंग बिलों के लिए विवरणों की मैन्युअल फीडिंग संभव नहीं होगी।
4. अपेक्षित स्प्लिट प्रमाण पत्रों की संख्या (प्रत्येक के 5 लाख रुपये के गुणकों में):
5. आयात के प्रयोजन हेतु पंजीकरण का पत्तन। (पंजीकरण का पत्तन ईडीआई पत्तनों में से एक होगा, जहां से निर्यात हुआ है)
6. घोषणा/वचनबद्धता

1	<p>मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:</p> <p>क. कंपनी जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन दंडित नहीं किया गया/दंडित किया गया है (जो लागू है उसे चुनें)</p> <p>(i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962</p> <p>(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944</p> <p>(iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992</p> <p>(iv) विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और</p> <p>(v) विदेश मुद्रा संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974</p> <p>(vi) जीएसटी अधिनियम, 2017</p> <p>ख. कम्पनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/फर्म/संस्था जो डीजीएफटी की अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में है, का निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी नहीं है।</p> <p>ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय (यों)/यूनिट (टों)/डिविजन (नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।</p>
2	<p>मैं/हम समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियमों और आदेशों, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।</p>
3	<p>मैं समझता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा केवल उन शिपिंग बिलों को जमा किया गया है, जिनके लिए आरओएसएल की राशि मुझे अभी तक सीबीआईसी द्वारा संवितरित नहीं की गई है।</p>

4	मैं घोषणा करता हू कि मुझे इस आवेदन को प्रस्तुत करने पर शिपिंग बिल के लिए शुल्क वापसी प्राप्त हुई है और एफटीपी के तहत किसी भी अतिरिक्त/अनुचित प्रोत्साहन के लिए अथवा शिपिंग बिलों के तहत पहले से प्राप्त शुल्क वापसी के लिए कोई जांच/आदेश इस आवेदन को प्रस्तुत करते समय कानूनी कारवाई हेतु मेरे लिए जारी/लंबित नहीं है। मैं यह भी समझता हू कि विवादों के मामलों सहित शिपिंग बिल विषय पर दावा किए गए ड्राबैक के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय, आरओएसएल स्क्रिप के तहत जारी छूट के लिए यथोचित परिवर्तन करके आवेदन हेतु मान्य है। मैं यह भी समझता हू कि डीजीएफटी अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में अपील में अधिनिर्णय देना या निपटाना अपेक्षित नहीं है और ड्राबैक मामलों में स्थिति/निर्णय आरओएसएल स्क्रिप के लिए लागू होते हैं और यदि शिपिंग बिल [जिसके लिए स्क्रिप तंत्र के तहत आरओएसएल इस आवेदन के माध्यम से मुझे जारी किया जाता है] पर किया गया ड्राबैक भविष्य में सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) द्वारा कम किया जाता है/वापस लिया जाता है, मैं आरओएसएल स्क्रिप के तहत पहले से ही प्राप्त किसी अतिरिक्त राशि का अभ्यर्पण कर दूंगा।
5	मैंने एचबीपी 2015-20 के पैरा 3.06 (ख) को पढ़ लिया है और मैं परिशिष्ट 1क के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को आरओएसएल आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।
6	मैं एतद्वारा घोषित करता हू कि मैंने वसूली तंत्र से संबंधित एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.98 के प्रावधानों को पढ़ा है। मैं घोषित करता हू कि इस आवेदन में दावे किए गए प्रेषित माल को बाद में वापस नहीं किया गया है। भविष्य में इसके वापस किए जाने के मामले में मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के खंड 28 एए के तहत निर्धारित ब्याज दरों के साथ दी गई छूट को वापस करने का वचन देता हूँ।
7	मैं एतद्वारा घोषणा करता हू कि इस आवेदन में इस संबंध में आरओएसएल पर वस्त्र मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट प्रावधानों के उल्लंघन में कोई निर्यात शामिल नहीं है। मैं घोषित करता हू कि, मैंने किसी अन्य तंत्र के तहत इन विशिष्ट राज्य लेवी के क्रेडिट/छूट/रिफंड/प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है या नहीं करूंगा और मैं उस छूट के लिए पात्र हूँ जिसके लिए दावा किया गया है। इसके अलावा घोषणा करता हूँ कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।
8	मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए विवरण और कथन सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया या रोका नहीं गया है। मैं/हम पूरी तरह से समझते हैं कि आवेदन में भरी गई सूचना गलत या असत्य पाए जाने पर मैं/हम कानून द्वारा निर्धारित या अन्यथा अनुबद्ध किसी भी दंडात्मक कार्रवाई या अन्य परिणामों के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे।
9	मैं एतद प्रमाणित करता हू कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।

घोषणा/वचनबद्धता की स्वीकारोक्ति के रूप में कोष्ठक में निशान लगाएं और प्रस्तुत करें।

आवेदक का हस्ताक्षर	डिजिटल हस्ताक्षर की सहायता से ई कॉम मॉड्यूल में डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जाए।
--------------------	--

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th October, 2020

No. 25/2015-2020

Subject: Procedure for application and issuance of Scrips under Scheme for Rebate of State Levies (RoSL)

F. No. 01/61/180/14/AM21/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby adds the following paragraphs in the Handbook of Procedures, 2015-20:

2. New paragraphs 4.97 and 4.98 are notified in the HBP as under:

4.97 Procedure to apply for scrips under the Scheme for Rebate of State Levies (RoSL)

a. The para 4.01 (d) of the FTP is about the Scheme for RoSL. The Gazette notifications of the Ministry of Textiles about implementation of RoSL Scheme under scrip mechanism may be referred to for more details.

The RoSL scrips shall be issued only for such old shipping bills of Scheme for RoSL, for which RoSL amounts could not be disbursed earlier due to budget limitation.

- b. An application for claiming rebate under RoSL shall be filed online in ANF-4SL, using digital signature, on DGFT website at <http://dgft.gov.in>. The exporter/ applicant is required to link relevant EDI shipping bills and e-BRCs and submit the application through online mode only. A maximum of 50 shipping bills would be allowed to be attached in one single application by the exporter in the online module.
- c. Rebate under scrip mechanism under RoSL is admissible only for shipping bill (s) for which Drawback has been disbursed and RoSL amount has not been disbursed. Only those Shipping bills, on which Customs authorities/ ICEGATE have not disbursed RoSL will be transmitted online by the DG (Systems)/ ICEGATE to the DGFT Server for exporter to file an application. However, the applicant shall ensure that no application is filed against the shipping bill for which RoSL claim has been received from the Customs Authorities alongwith Drawback. Any mis-declaration to that effect, would invite penal action as per the FT (D&R) Act, 1992.
- d. Facility of Split Scrips: Provisions of para 3.09 of the HBP shall apply mutatis mutandis.
- e. The Jurisdictional RA for application of the RoSL would be according to para 3.06 (b) of the HBP. The applicants shall ensure that they are applying only to the concerned Jurisdictional RA, as per para 3.06 (b) of the Handbook of Procedures for getting the scrip and shall submit a declaration to that effect while applying for the scrip online. However, the limitation imposed in para 3.06 (a) regarding choosing an RA at the beginning of financial year and maintaining the same RA for all applications in that Financial Year shall not apply.
- f. Choice of Port of Registration for RoSL Scrips: While making an online application, the applicant can chose the Port of registration from any one of the EDI ports from where export has been made for the shipping bills in that online application. Duty Credit Scrip (including splits) shall be issued with that single EDI port of registration.
- g. After system based approval of the final rebate amount, scrips shall be issued by RAs in a paperless mode. However, RAs shall scrutinize 2 percent of issued RoSL applications every month under a Risk Management System (RMS). The RMS cases will be generated by the DGFT system.
- h. Registration of Scrips: Duty credit scrip needs to be registered at the port mentioned on the scrip. This is to be done prior to allowing usage of duty credit. Once registered at EDI port, scrip can be automatically used at any EDI port for import and at any manual port under Telegraphic Release Advise (TRA) procedure.
- i. Validity period and Revalidation: Duty Credit Scrip shall be valid for a period of 24 months from the date of issue and must be valid on the date on which actual debit of duty is made. Revalidation of Duty Credit Scrip shall not be permitted unless covered under paragraph 2.20(c) of HBP.
- j. In the online module for filing claims under RoSL, applications containing shipping bills with Let Export Order (LEO) date between 01.10.2017 and 06.03.2019 are required to be submitted separately. Similarly, separate application containing shipping bills with LEO date before 01.10.2017 needs to be submitted. Last date for submitting applications containing shipping bills with LEO date from 01.10.2017 to 06.03.2019 would be 30.06.2021. The last date for filing applications containing shipping bills with LEO date before 01.10.2017 would be notified at a later date.
- k. After these submission deadlines, no application shall be allowed to be submitted and the shipping bills would become time barred. There is no provision of late cut under the Scheme for RoSL under the scrip mechanism.
- l. All exporters are eligible for making a claim under the Scheme for RoSL, except the entities/IEC which are in the Denied Entity List of the DGFT.

4.98 Recovery Mechanism

- a. The record of shipping bills and other documents related to export on which a claim under RoSL Scheme has been filed, is required to be maintained by the applicant for a period of 3 years from the date of issuance of scrip for post issue scrutiny and recovery purposes. Regional Authority may call such documents in original at anytime within 3 years. In case the applicant fails to submit the original documents on demand by Regional Authority, the applicant shall be liable to refund the rebate granted along with interest at the rate prescribed under Section 28AA of Customs Act, 1962, from the date of issuance of scrip.
- b. In case of claim for rebate under the RoSL scheme where the rebate is issued by DGFT in the form of Duty Credit Scrips, such rebate shall be allowed only on the basis of actual remittances realized by the exporter. In case, excess payment is made due to error or miscalculation, the exporter shall be liable to refund the same within 30 days from the date of demand raised by the concerned RA of DGFT. Such amount will be refunded by the exporter with 15% interest or as prescribed under Section 28AA of Customs Act, 1962, whichever is

more from the date of issue of such Duty Credit Scrip and till the date of actual refund. In case the exporter fails to refund the amount so demanded by RA within the prescribed time limit, recovery proceedings shall be initiated under the provisions of Section 11 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by the RA of DGFT. In case rebate is claimed on the basis of mis-declaration or suppression of facts or by submitting fabricated export documents, the exporter shall be liable for penal action under the provisions of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended time to time. However, unutilized Duty Credit Scrip under RoSL can be surrendered without any interest liability. The amount (principal plus interest and penalty where applicable) so recovered shall be deposited in the relevant account head of Customs i.e. "Major Head 0037 – Customs and Minor Head 101-Import duties"

- c. In case the applicant fails to refund any excess claim as stipulated above or does not respond to any communication by RA within 30 days of receipt of such communication, RA will initiate action as per FT (D&R) Act, 1992 and Rules.

3. The ANF-4SL is also notified and is an Annexure to this Public Notice.

Effect of this Public Notice: Based on notifications for issue of Rebate of State Levies (RoSL) for Shipping Bills prior to 07.03.2019, under a scrip mechanism, procedure for applying, recovery mechanism and the new Aayat Niryat Form ANF-4SL is notified. It is also notified that RoSL scrips would be available only for those shipping bills which have been transmitted from the ICEGATE server to DGFT server and for which exporters have not received any RoSL amount.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade

Ex-Officio Addl. Secy.

Annexure to the Public Notice Number 25 Dated 13 October, 2020

ANF - 4SL

Application Form to apply for the Scheme for Rebate of State Levies (RoSL) as notified in the para 4.97 and 4.98 of the Handbook of Procedures 2015-20

Guidelines for Applicants:

1. Kindly refer to Para 4.97 and 4.98 of the HBP 2015-20 and Gazette Notifications published by the Ministry of Textiles on ROSL, and declarations in the ANF-4SL before submitting any application online.
2. Only those shipping bills should be applied for a scrip under RoSL for which Drawback has been disbursed and RoSL has not been disbursed at the time of submission
3. In the online module:
 - i. Commission amount of upto 12.5% of FOB value would be counted for calculation of entitlement under RoSL and any excess beyond 12.5% shall not be counted for calculation of Rebate amount. The exporter may note that they should fill the Commission, insurance and freight amounts in the online e-BRC repository module before linking the e-BRCs with the Shipping bills.
 - ii. The exporters must fill the above values if the amounts under Commission, Insurance and Freight have been included in the realized value in the relevant e-BRC in the e BRC repository.
 - iii. The system would calculate the rebate after adjusting the values as above from e BRC and would issue rebate on such adjusted e-BRC or FOB whichever is less.
 - iv. Applicant is required to select the details of one shipping bill at a time. A maximum of 50 shipping bills can be selected and submitted for rebate in one application.

Part A

1.	Applicant Details:										
i	IEC No.										
ii	Name of the IEC										
iii	Address										
iv	Telephone No.										

v	Valid / Active Email ID	
---	-------------------------	--

Part B

2. Application Details:

- i. Export Licensing period [pl. specify the period in which export has been made, based on Let export date (Para 9.12 of HBP) from the drop down in the online module]:
- ii. Date of filing of Application:
- iii. EDI Port of Export for this Application:

3. Shipping Bill Details: Shipping Bills and e BRCs would be available in the shipping bill repository online. Applicants are required to select the shipping bills and all relevant e-BRCs and build their application. Manual feeding of details for EDI shipping bills would not be possible.

4. Number of Split Certificates required (in multiples of Rs 5 lakhs each):

5. Port of Registration for the purpose of imports. (The port of registration shall be one of the EDI ports from which exports have taken place)

6. Declaration / Undertaking

1	<p>I/We hereby certify that :</p> <p>A. the entity for whom the application has been made have not been penalized/ have been penalized (choose as applicable) under any of the following Acts (as amended from time to time):</p> <p>(i) The Customs Act, 1962, (ii) The Central Excise Act 1944, (iii) Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, (iv) The Foreign Exchange Management Act,1999; and (v) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (vi) GST Acts, 2017</p> <p>B. None of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF/Trust, (as the case may be), is/are a Director(s) / Partner(s) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / entity which is on the Denied Entity List (DEL) of DGFT;</p> <p>C. Neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office(s)/ Unit(s)/ Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy;</p>
2	I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time, the Rules and Orders framed there under, the Foreign Trade Policy, the Handbook of Procedures 2015-20 as amended from time to time.
3	I understand that only those Shipping bills are submitted by me in this application for which RoSL amount has not been disbursed to me till date by the CBIC.
4	I declare that I have received Drawback for the shipping bills submitted in this application and no enquiry/ order for any excess/undue incentive under FTP or Drawback already received under these shipping bills is in progress/ served to me/ pending at the time of submitting this application. I also understand that any decision taken with respect to Drawback claimed on the subject shipping bills, including in cases of disputes, shall apply mutatis mutandis to the rebate issued under RoSL scrip. I also understand that if Drawback claimed on the shipping bills [for which RoSL under scrip mechanism is issued to me through this application] gets reduced / reversed by the CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) in future, I would surrender the proportionate excess amount already received under RoSL scrip suo-motu.
5	I have gone through the para 3.06 (b) of the HBP 2015-20 and am submitting this instant ROSL application to my jurisdictional Regional Authority as per Appendix 1A.

6	I hereby declare that I have read the provisions of the para 4.98 of the HBP 2015-20 regarding the Recovery Mechanism. I declare that none of the consignments in respect of which claim is filed in this application has been subsequently returned. In case it is returned in future, I undertake to refund the rebate granted with interest rates as prescribed under section 28AA of Customs Act, 1962.
7	I hereby declare that this application does not contain any exports in contravention of provisions as specified in the Ministry of Textiles Gazette Notifications on RoSL in this regard. I declare that, I have not claimed or shall not claim credit/rebate/refund/reimbursement of these specific State Levies under any other mechanism and I am eligible for the rebate claimed for. Further, declare that an Internal Complaints Committee (ICC), where applicable, in pursuance of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Re-dressal) Act, 2013 has been constituted.
8	I/We hereby certify that that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been concealed or held there from. I/We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
9	I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the Foreign Trade Policy.

Tick the box as acceptance of declaration/ undertaking and submit

Signature of the Applicant	To be Digitally Submitted in the E com module with the help of a Digital Signature
----------------------------	--